महत्वपूर्ण एवं खास

लहुलुहान हालत में सड़क किनारे मिले युवक की इलाज के दौरान मौत

» पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की गला दबाकर व शरीर पर गंभीर चोट पहुंचाकर छोड़ दिया था सड़क किनारे

रायपुर (आरएनएस)। केनॉल रोड के पास लहुलुहान हालत में मिले युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 8 जून 2019 को केनाल रोड राजा तालाब के पास श्याम नगर तेलीबांधा निवासी आशीष जाल आयु 28 वर्ष को सड़क किनारे लहुलुहान हालत में पड़ा देख किसी ने घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी थी। युवक के सिर एवं शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोट के निशान पाये गए थे। इलाज के लिए उसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां इलाज के दौरान मौत हो जाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर पर गंभीर चोट पहुंचाकर गला दबाकर हत्या किया जाना सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

उधार में दिए रुपये की लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, काउंटर केस दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। दुकान का किराया व उधार में दिए रकम को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े मारपीट व तोड़फोड़ किए जाने की रिपोर्ट एक दूसरे के खिलाफ थाने में दर्ज करायी है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रीन आर्चिट मोवा पंडरी निवासी मोहम्मद सुहेल 38 वर्ष पिता मोह. साहिल खान ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी मोहम्मद अफताब 19 वर्ष व हर्षित जैन निवासी राजा तालाब से उधार में रुपये व मोवा ओव्हरब्रिज के नीचे किराये का दुकान लिया था। उधार में दिए रुपये व दुकान का किराया को समय पर नहीं दे पाने के चलते आरोपियों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हुए दुकान में रखे टीवी फ्रीज टेबल को तोड़ दिया। इसी तरह हर्षित कोठारी 20 वर्ष पिता अरूण कोठारी ने मोवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उधार में दिए पैसा की लेनदेन को लेकर मोहम्मद सुहेल 38 वर्ष पिता मोह. साजिद खान ने प्रार्थी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर जांच में लिया है।

अज्ञात कार चालक की ठोकर से युवक की मौत, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण शहर में आए दिन दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पुलिस विभाग द्वारा राडार मशीन के जरिए स्पीड को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करने के दुष्परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती रहती है। इसी क्रम में दीपक अल्दा आयु 30 वर्ष पिता लक्ष्मण अल्दा निवासी कुमार दुर्गा थाना सिंध मुनी जिला पश्चिम सिंह भूमि झारखंड को तेज रफ्तार वाहन चलाकर अज्ञात वाहन चालक द्वारा चंदनडीह बाइपास रोड पर टक्कर मारी गई जिसके चलते एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। आमानाका टीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अज्ञात वाहन के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रोड एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल चालक की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मर्ग कायम

रायपुर (आरएनएस)। मोटरसाइकिल सवार युवक की रोड एक्सीडेंट मौत हो जाने पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मर्ग कायम कर जुर्म दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अजान मोहल्ला भिलाई कैम्प वन थाना छावनी जिला दुर्ग निवासी इमराज खान 24 वर्ष पिता फिरोज खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 20 नवंबर को ग्राम तिरैया चौक के पास धरसींवा में मोटरसाइकिल से जाते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन चालक ने अपनी चपेट में ले लिया। जिसके चलते मोटरसाइकिल चला रहे नौसाद आलम आयु 26 वर्ष पिता आजाद आलम की मौके पर मौत हो गई एवं प्रार्थी को चोट लगा। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 304 ए के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत

» कुछ ही देर में होनी थी बेटे की सगाई » घटना के बाद जमा हुए लोग » जशपुर शहर की घटना, लिफ्ट के खराब होने की वजह से हुआ हादसा » सगाई कार्यक्रम में शामिल होने इलाहाबाद से आया था परिवार

जशपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में होटल की खराब लिफ्ट एक बुजुर्ग की मौत का कारण बन गई। गुरुवार की सुबह तीसरी मंजिल की ऊंचाई से गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई। शहर के होटल निर्वाणा यह घटना हुई। कुछ ही देर में बुजर्ग के बेटे की सगाई इसी होटल में होनी थी। इससे पहले हुई इस घटना की वजह से अब परिवार में मातम है। ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद बुजुर्ग को गम्भीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। जहां उनकी मौत हो गयी है। मृतक का नाम संतोष सिंह है। इलाहाबाद से बेटे की सगाई के सिलसिले में परिवार के साथ यह जशपुर आए हुए थे।

इस वजह से हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक होटल की लिफ्ट में कुछ खराबी थी। जब तीसरे माले से नीचे उतरने संतोष सिंह ने लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहा तो लिफ्ट उपरी हिस्से में अटक गई। इसके बावजूद तीसरे माले में बना लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, संतोष को लगा कि लिफ्ट आ चुकी है, अंधेरा होने की वजह से उन्होंने पैर आगे बढ़ाया और सीधे नीचे गिर गए। उनके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई।

घटना की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ होटल के बाहर जमा हो गई। फौरन घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। तनाव के हालात देखते हुए पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद है। जशपुर के रहने वाले एक परिवार में मृतक के बेटे की शादी तय हुई थी। इस मामले में अब होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें भी सामने आ रही हैं।

लोन दिलाने के नाम पर 82 हजार रुपए ठगी

» बैंगलोर के दो युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

महासमुंद (आरएनएस)। लोन का झांसा देकर अज्ञात ने युवक से 82 हजार रुपए ठग लिए। शिकायत पर पुलिस ने बैंगलोर के दो युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

बागबाहरा कला निवासी हरदेव पिता झब्बूलाल वर्मा (30) के अनुसार उन्होने 2 फरवरी 2019 को लोन के लिए टाटा कैपिटल फाइनेंस के कंपनी के टोल फ्री नंबर 18001007065 से संपर्क किया। टोल फ्री नंबर रिसीवर के कहने पर उन्होने अंक सूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड और फोटो एक ईमेल आईडी से भेज दी। इसके बाद हरदेव को लोन स्वीकृति का मैसेज आया और देवकुमार जोहरी नामक व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर 9675898701 दिया। इसके बाद एक अन्य नंबर 7999775076 पर देवकुमार जोहरी से बात हुई और उनके द्वारा दिए ललित मोहन त्रिपाठी नामक युवक के खाता नंबर पर फाइल चार्ज के लिए 55 सौ रुपए बागबाहरा के पीएनबी बैंक से जमा किया। इसके बाद उक्त नंबरधारकों ने अलग-अलग चार्ज के बहाना बताकर 6 फरवरी को 22800 रुपए, 8 फरवरी को 18730 रुपए, 14 फरवरी को 35 हजार रुपए, 18 मई को 10 हजार रुपए जमा करवा लिए। जिसके बाद भी उन्हे कोई रकम नहीं मिली। बहरहाल, पुलिस ने शिकायत जांच के बाद बैंगलूरू कर्नाटक निवासी देवकुमार जोहरी और ललित मोहन त्रिपाठी के खिलाफ धारा 420/34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की हुई बैठक

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में 25 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही शीतकालीन सत्र के मद्देनजर आज विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा की समिति कक्ष में आयोजित किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष एवं कार्यमंत्रणा समिति के सभापति डा. चरणदास महंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे, लोक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, रमन सिंह के अलावा विशेष सदस्य सत्यनारायण शर्मा, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, लखेश्वर बघेल एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराेल भी मौजूद रहे। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आज शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई। सत्र इस बार 25 नवंबर से 6 दिसंबर तक के लिए बुलाया गया है। इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र के लिए विधायकों द्वारा तारांकित और अतारांकित मिलाकर कुल 1472 प्रश्न लगाए गए है।

लिंक एक्सप्रेस में खिलाड़ियों को लूटने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

» कुल 48 हजार की लूट हुई

रायपुर (आरएनएस)। 18 नवम्बर को विशाखापट्नम से रायपुर की ओर आने वाली लिंक एक्सप्रेस में सवार भिलाई के कार्तिक नायडू एकेडमी के 14 खिलाड़ियों को लौटते वक्त आरवीएच कॉलोनी के पास आउटर पर रेड सिग्नल के इंतजार के दौरान लुटने वाले लुटेरे हेमंत सिक्का उर्फ टिक्कू पिता स्व. मनुलाल सिक्का, आकाश चंद उर्फ अक्का भाई पिता बबलूचंद, मंगल ताण्डी पिता भुलवा ताण्डी, दीपक सिंह चौहान उर्फ छोटू पिता निर्मल सिंह चौहान, जय महानंद पिता राजेश महानंद एवं घनश्याम सोना उर्फ कबोरी पिता बाणी सोना ने खिलाड़ियों के ऊपर ट्रेन में चढ़कर हाथ लकड़ी डंडा और चाकू से लूटपाट कर उन पर हमला किया। ज्ञातव्य है कि 14 खिलाड़ी मिनी स्टेडियम महासमुंद क्रिकेट खेलने गये थे। उक्त घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से खिलाड़ियों से लूटी गई सामग्री में एमआई कंपनी का नोट 8 सफेद रंग के कीमत 18 हजार, वैभव का समसंग कंपनी का जे-7 मैक्स काला रंग कीमत 15 हजार सुमित का रेडमी नोट 7 प्रो नीला रंग कीमत 15 हजार सहित कुल 48 हजार की लूट करने वालों को पुलिस ने पाइंटर की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उक्त 6 आरोपियों के खिलाफ शासकीय रेलवे पुलिस ने धारा 394 एवं 395 के तहत मामला कायम कर जांच विवेचना शुरू कर दी है। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में रायपुर रेलवे पुलिस टास्कफोर्स टीम के जरिये सफलता पाई है।

गोलापल्ली मार्ग का टैक्टिकल सर्चिंग किया एएसपी ने

सुकमा (आरएनएस)। नक्सल प्रभावित अतिसंवेदनशील थाना गोलापल्ली के ग्राम फायदागुड़ा से पैदल 9 किलोमीटर टैक्टिकल सर्चिंग कर ग्राम रायेगुड़म, तरलागुड़ा, गोल्लापली ग्राम के रोड निर्माण कार्यो की जानकारी एएसपी सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा ली गई।

ज्ञात हो कि नक्सलियों द्वारा विगत कुछ दिनों पूर्व तारलागुड़ा से गोल्लापली तक सड़क 30-40 जगहों से काट दिया था।

जिस कारण आम जन को आवागमन में परेशानी हो रही थी। जिसके मद्देनजर रोड ब्लॉक और गड्ढो को जेसीबी, पोकलेन, से भरवाकर रोड को सुदृण करवाया गया। जिसमें गोल्लापली का आवागमन पुनः सुचारू रूप से संचालित हो गई। फ़ोर्स का मूवमेंट भी सुरक्षित करवाया गया।

तारलागुड़ा के स्कूल आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। यहां अध्यन्नरत बच्चों से भेंट कर भविष्य में लगातार पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। रायगुड़ा, गोल्लापली के ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। जिसमें ग्रामीणों ने लिंङ्गपल्ली से गोल्लापली सड़क को प्राथमिकता देने की बात रखी।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

अवैध धान परिवहन और संग्रहण रोकने कलेक्टर व एसपी ओडिसा सीमा पहुंचे

» डेढ़ करोड़ रूपये मूल्य का अवैध धान जब्त

» छापामार कार्रवाई में कलेक्टर व एसपी ने दी दबीश

गरियाबंद (आरएनएस)। गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्याम धावड़े एवं पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे ने बुधवार को ओडिसा राज्य की सीमा से लगे 5 गांवों में अवैध धान परिवहन और संग्रहण को रोकने औचक दबीश दी। अधिकारियों ने राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग की टीम बनाकर कोचियों और व्यापारियों के यहां छापामार शैली में कार्यवाही की। बुधवार को एक ही दिन में लगभग 15 हजार 386 बोरा धान जब्त किया गया। जिसका समर्थन मूल्य पर कीमत लगभग एक करोड़ 55 लाख रूपये आंकी गई है।

कलेक्टर धावड़े और एसपी आहिरे ने सुबह ही संयुक्त टीम के साथ देवभोग के ग्राम भरवामुड़ा, ढोढरा, चिचिया, बरबाहली और तेतलखुटी में कार्यवाही की। इस दौरान कुल छः प्रकरणों में लगभग 6200 क्विंटल धान की जब्ती की गई। कलेक्टर श्याम धावड़े ने कहा कि जो पंजीकृत किसान है और जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे जांच के दौरान अपनी ऋण पुस्तिका अवश्य दिखाये। लेकिन अवैध संग्रहण और परिवहन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अवैध तरीके से धान का संग्रहण और परिवहन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान कलेक्टर व एसपी देर शाम तक छापामार कार्यवाही में संलग्न रहे। जांच के दौरान मौके पर ही राजस्व विभाग की टीम द्वारा पर्याप्त दस्तावेज और गिरदावरी रिपोर्ट का भी सत्यापन किया गया। कलेक्टर एवं एसपी ने ग्राम भरवामुड़ा निवासी बलीराम नायक घर से लगभग 760 बोरा, ढोढरा निवासी पुनीत सिन्हा के घर से लगभग एक हजार बोरा, रूस्तम सिन्हा से 1900 बोरा, बरबाहली के गुलाब सिन्हा के घर से 360 बोरा एवं चिचिया के खुरदूराम सिन्हा के घर से 500 बोरा, ग्राम सागोनबाड़ी में 400 बोरी और ग्राम तेतलखुटी के तपेश्वर ठाकुर के घर से 400 बोरा धान एवं अधिक मात्रा में खुले में धान पाया गया। मौके पर मौजूद इन प्रकरणों में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी भूपेन्द्र साहू, खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना, टी.आई सत्येन्द्र सिंह श्याम, नायब तहसीलदार कृष्णमूर्ति दीवान, मंडी सचिव प्रदीप शुक्ला और सरपंच, पटेल व कोटवार की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया एवं मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

अधिकारियों ने ओडिसा सीमा पर ग्राम खुटगांव में लगे बैरियर का भी अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर एक पंजी संधारित करने और 24 घंटा सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिये। इसके अलावा ग्राम तेतलखुटी सीमा पर भी बैरियर लगाने के निर्देश दिये गये।